संख्या-91/2021/1690083/71-3-2021-

प्रेषक,

प्रेम शंकर तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 13 जुलाई, 2021**

विषयः- केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अंतर्गत 05 मेडिकल कालेजों की प्रायोजना में उपकरण मद में स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अंतर्गत 05 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु व्यय वित्त समिति की सम्पन्न बैठक के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त में मेडिकल उपकरण हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निम्नानुसार धनराशि रा0नि0नि0 के पक्ष से नोडल प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य को हस्तान्तरित की गयी है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	मेडिकल कालेज का नाम	उपकरण हेतु स्वीकृत धनराशि	प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य के पक्ष में अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5
1	अयोध्या	2380.00	1006.95	1373.05
2	बस्ती	2380.00	1006.95	1373.05
3	बहराइच	1808.80	500.00	1308.80
4	फिरोजाबाद	2380.00	700.00	1680.00
5	शाहजहॉपुर	2380.00	1633.61	746.39

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर हेतु मेडिकल उपकरण मद में व्यय वित्त समिति द्वारा मेडिकल उपकरणों के क्रय हेतु प्रबन्ध निदेशक, रा0नि0नि0 के पास स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रक्षित अवशेष धनराशि **(उपर्युक्त तालिका के कालम-5 के अनुसार)** सम्बन्धित प्रधानाचार्यगण के पक्ष में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन हस्तान्तरित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. हस्तान्तरित धनराशि से प्रधानाचार्य द्वारा मेडिकल उपकरणों का क्रय ही किया जाए। इस हेतु मेडिकल उपकरणों की सूची का अनुमोदन शासन स्तर से किया जाए।
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा मेडिकल उपकरणों का क्रय उ0प्र0 प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल, 2016 में प्राविधानित व्यवस्था एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत तथा शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में किया जाए।

भवदीय,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-91/2021/ 1690083(1)/71-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय-अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय- अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर।
7. नियोजन अनुभाग-4
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।